उपायुक्त का न्यायालय, गोड्डा।

आर0एम0ए0 नं0–26/2013–14

आर0एम0ए0 नं0–43/2013–14

राजेन्द्र मिर्धा वगै0 बनाम् गोकुल चन्द्र मिर्धा वगै0

लखन उराँव वगै0 बनाम् गोकुल चन्द्र मिर्धा वगै0

–: आदेश :–

दिनांक 25/6/24

यह अपील वाद आर0एम0ए0 नं0–26/2013–14 (लखन उराँव वगै0 बनाम् गोकुल चन्द्र मिर्धा वगै0) की प्रक्रिया अपीलकर्त्ता लखन उराँव, पे0–स्व0 तेजू उराँव वो रामेश्वर उराँव, पे0–छेदी उराँव वो मनोज उराँव, पे0–जग्गी उराँव वो हरि उराँव, पे0–जीतन उराँव, सा0–कुरपट्टी, थाना–ठाकुरगंगटी, जिला–गोड्डा के अपील आवेदन एवं अपील वाद आर0एम0ए0 नं0–26/13–14 (राजेन्द्र मिर्धा वगै0 बनाम् गोकुल चन्द्र मिर्धा वगै0) की प्रक्रिया अपीलकर्त्ता राजेन्द्र मिर्धा वो जीतन मिर्धा वो राजू वो राम विलास मिर्धा, पेसरान–धनेश्वर मिर्धा, सा0–कुरपट्टी, जिला–गोड्डा के अपील आवेदन के आधार पर प्रारम्भ किया गया है। चूँकि दोनों अपील वाद अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के न्यायालय के आर0ई0आर0 केश नं0–57/2009–10 में दिनांक–02.07.2013 के पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया है। इसलिए दोनों अपील वादों को एक साथ सम्बद्ध किया गया है।

अपीलकर्त्तागण के विद्वान अधिवक्ताओं एवं उत्तरवादी के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान सरकारी वकील को सुना। अभिलेखबद्ध कागजातों को अवलोकन किया।

अपीलकर्त्ता लखन उराँव वगैरह के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि मौजा–कुरपट्टी नं0–91, जमाबंदी सं0–03 रकवा 01–15–08 धुर जमीन गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में अगनुमिर्धा वल्द गांगू मिर्धा के नाम से दर्ज है। जमाबंदी रैयत अगनु मिर्धा नावल्द फौत कर गये है। जमाबंदी रैयत के नावल्द होने के उपरांत मौजा के प्रधान को जमीन बंदोवस्ती करने का कानूनी प्रावधान प्राप्त है। तदनुसार ग्राम प्रधान ने वर्ष 1982 ई0 में अपीलकर्त्तागण के नाम से उक्त जमाबंदी की जमीन बंदोवस्त किया है एवं उनके पूर्वज छेदी उराँव का नाम पंजी–II में दर्ज पाया गया है तथा उसके अनुसार अपीलकर्त्तागण अद्यतन खजाना देकर मालगुजारी रसीद प्राप्त करते आ रहे है। अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा ने अंचल अधिकारी से भी उक्त तथ्यों के संबंध में जाँच प्रतिवेदन प्राप्त न कर उत्तरवादी के पक्ष में एक

तरफा आदेश पारित किया है। चूँकि उत्तरवादी प्रथम का जमाबंदी रैयत से कोई संबंध नहीं है। इसलिए अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा का पारित आदेश नियम संगत नहीं है। उन्होंने अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के पारित आदेश को निरस्त करते हुए अपीलकर्त्तागण के अपील आवेदन को स्वीकृत करने के लिए अनुरोध किया है।

अपीलकर्त्ता राजेन्द्र मिर्धा वगैरह के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि मौजा–कुरपट्टी, जमाबंदी सं0–03 रकवा 01–15–08 धुर जमीन गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में अगनु मिर्धा वल्द गंगा मिर्धा के नाम से दर्ज है। जमाबंदी रैयत अगनु मिर्धा को एक पुत्री फूलमुनी हुई। फूलमुनी की मृत्यु अविवाहित अवस्था में ही हो गयी है। उनका आगे कथन है कि अपीलकर्त्तागण के पूर्वज बोनू मिर्धा थे। बोनू मिर्धा को तीन पुत्र क्रमशः गांगु मिर्धा, मुंशी मिर्धा एवं हुकुम मिर्धा थे। गांगु मिर्धा को एक पुत्र अगनु मिर्धा हुए। अगनु मिर्धा को एक पुत्री फूलमनी हुई, जिनकी मृत्यु अविवाहित अवस्था में नावल्द हो गयी है। मुंशी मिर्धा को एक पुत्र धनेश्वर मिर्धा हुए। अपीलकर्त्तागण धनेश्वर मिर्धा के पुत्र है। जमाबंदी रैयत अगनु मिर्धा की एक मात्र फूलमुनी के नावल्द मृत्यु के उपरांत गांगु मिर्धा के भाई मुंशी मिर्धा के वंशज होने के आधार पर अपीलकर्त्तागण उक्त जमाबंदी के जमीन पर दखलकार हुए। उनका आगे कथन है कि वर्तमान तसदीक सर्वे के दौरान अपीलकर्त्ता राजेन्द्र मिर्धा का नाम दर्ज किया गया है। जिला भू–अर्जन कार्यालय, गोड्डा से भी भू–अर्जन के लिए मुआवजा हेतु अपीलकर्त्तागण को नोटिश दिया गया है। इस प्रकार अपीलकर्त्तागण उक्त जमाबंदी की जमीन का हकदार है। लेकिन अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा ने तथ्यों का जाँच किये बिना ही आदेश पारित किया है। इसलिए अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा का पारित आदेश नियम संगत नहीं है। उन्होंने अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के पारित आदेश को निरस्त करते हुए अपीलकर्त्तागण के अपील आवेदन को स्वीकृत करने के लिए अनुरोध किया है।

उत्तरवादी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि मौजा–कुरपट्टी, थाना नं0–91 के जमाबंदी सं0–03 कुल रकवा 01–15–08 धुर जमीन गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में अगनु मिर्धा वल्द गांगु मिर्धा के नाम से दर्ज है। जमाबंदी रैयत अगनु मिर्धा को एक पुत्री कुलमंती देवी हुई। उत्तरवादी कुलमंती देवी के पुत्र है एवं उत्तराधिकारी के आधार पर उक्त जमीन उन्हें प्राप्त हुआ है। वर्तमान तसदीक सर्वे में भी उत्तरवादी का नाम

दर्ज हुआ है। इसलिए अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा का पारित आदेश नियम संगत है। उन्होंने अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के पारित आदेश को बरकरार रखते हुए अपीलकर्त्तागण के अपील आवेदन को खारिज करने के लिए अनुरोध किया है।

इस संबंध में अंचल अधिकारी, ठाकुरगंगटी के पत्रांक–02/रा दिनांक–05.01.2021 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदित किया है कि मौजा–कुरपट्टी थाना नं0–91, जमाबंदी सं0–03 कुल रकवा 01–15–08 धुर जमीन जमाबंदी रैयत अगनू मिर्धा, पिता–गांगु मिर्धा के नाम से पर्चा में दर्ज है। गांगु मिर्धा तीन भाई थें। गांगु मिर्धा, मुंशी मिर्धा एवं हुकुम मिर्धा, पिता–बौनु मिर्धा, जिसका वंशावली निम्न प्रकार दर्शाया गया है :–

जमाबंदी रैयत :–अगनू मिर्धा वल्द गांगु मिर्धा एवं गांगु मिर्धा वल्द बौनु मिर्धा

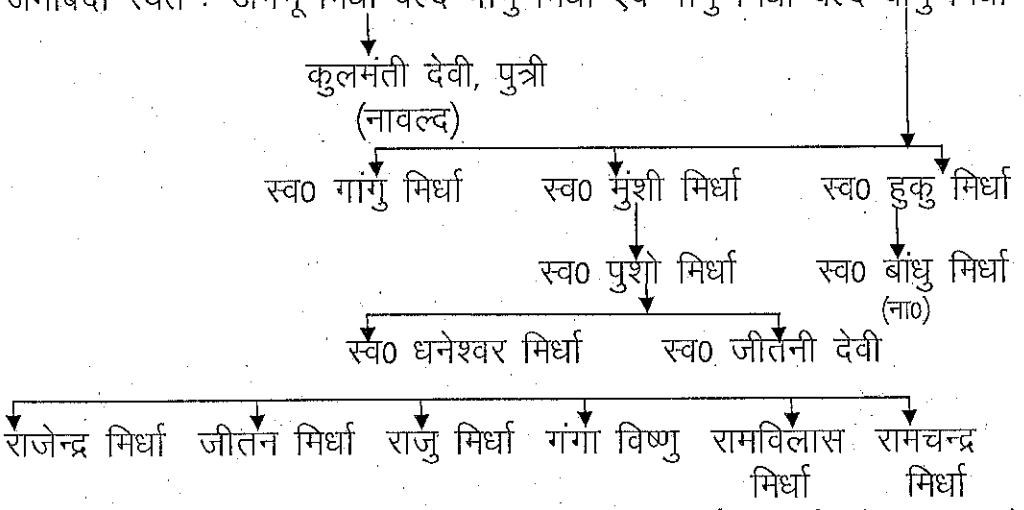

गोकुल चन्द्र मिर्धा, पिता–स्व0 मोती मिर्धा के संबंध में प्रतिवेदित किया है कि गोकुल चन्द्र मिर्धा उक्त जमाबंदी रैयत के वंशज नहीं है। उक्त जमाबंदी के अन्तर्गत दाग नं0–112 पर रामेश्वर उराँव, पिता–छेदी उराँव, राजकिशोर उराँव वो अरविन्द उराँव, पिता–स्व0 देवदत्त उराँव द्वारा मकान बनाकर निवास किया जा रहा है। लेकिन उनलोगों के पास जमीन संबंधी कोई भी पुख्ता कागजात नहीं है।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के बहस सुनने के पश्चात अभिलेखबद्ध कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मौजा–कुरपट्टी नं0–91 जमाबंदी सं0–03 कुल रकवा 01–15–08 धुर जमीन गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में अगनु मिर्धा वल्द गांगु मिर्धा के नाम से दर्ज है। अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा ने उक्त जमीन से अपीलकर्त्ता लखन उराँव वगैरह को उच्छेद किया है एवं उक्त जमीन पर उत्तरवादी गोकुल चन्द्र मिर्धा को दखल दिहानी के लिए आदेश दिया गया है। लेकिन अंचल अधिकारी, ठाकुरगंगटी के जाँच प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है कि उत्तरवादी गोकुल चन्द्र मिर्धा उक्त

जमाबंदी के जमाबंदी रैयत के वंशज नहीं है। इस वाद के आदेश दिनांक–18.02.2021, जिसके द्वारा उत्तरवादी गोकुल चन्द्र मिर्धा को सक्षम न्यायालय से उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्राप्त कर इस न्यायालय में प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया था। उक्त आदेश के आलोक में भी उत्तरवादी की ओर से उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस प्रकार उत्तरवादी अपने को गत जमाबंदी रैयत के वंशज के रूप में स्थापित करने में असमर्थ रहे हैं। यद्यपि कि अपीलकर्त्ता लखन उराँव वगैरह का गत जमाबंदी रैयत से कोई संबंध नहीं है। लेकिन अंचल अधिकारी, ठाकुरगंगटी के जाँच प्रतिवेदन में दर्शाये गये वंशावली में अपीलकर्त्ता राजेन्द्र मिर्धा वगैरह को उक्त जमाबंदी रैयत के अन्तर्गत के वंशज के रूप में दर्शाया गया है। इस प्रकार अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा का पारित आदेश नियम संगत प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के आर0ई0आर0 केश नं0–57/2009–10 में दिनांक–02.07.2013 के आदेश को निरस्त किया जाता है एवं पुनर्विचार हेतु अभिलेख अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा को प्रतिप्रेषित किया जाता है।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

उपायुक्त,
गोड्डा।

उपायुक्त,
गोड्डा।

Digitally signed by Zeeshan Qamer
Date: 2024.08.12 12:30:09 +05:30
Location: 192.168.1.54